



दैनिक जागरण

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

दैनिक भास्कर



जनसत्ता

Party

CURRENT AFFAIRS

IAS/PCS

अब होगी करंट अफेयर्स की राह आसान

25 December



Quote of the Day



आज **रास्ता** बना लिया है,
तो कल **मंजिल** भी मिल जाएगी
हौसलों से भरी यह **कोशिश**
एक दिन जरूर **रंग** लाएगी



**पूर्व न्यायाधीश पी. रामासुब्रमणियन
को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
(NHRC) का अध्यक्ष नियुक्त**





चर्चा में क्यों?



- ▶ 23 दिसंबर 2024 को, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी. रामासुब्रमणियन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष नियुक्त किया। यह पद जून 2024 से खाली था। उच्च स्तरीय समिति ने उनकी नियुक्ति पर निर्णय लिया।





मुख्य बिंदु:



- ▶ राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन को NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया; यह पद जून 2024 से खाली था।
- ▶ प्रियांक कानूनगो और न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन सरंगी को NHRC के सदस्य बनाया गया।



मुख्य बिंदु:

- ▶ 18 दिसंबर को उच्च स्तरीय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता (मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी) शामिल हुए।
- ▶ वी. रामासुब्रमणियन का जन्म 30 जून 1958 को हुआ। उन्होंने चेन्नई के विवेकानंद कॉलेज से विज्ञान में स्नातक और मद्रास लॉ कॉलेज से कानून में स्नातक की पढ़ाई की।



मुख्य बिंदु:



- ▶ 1983 में वकालत शुरू करने के बाद, वे 2006 में मद्रास हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश और 2009 में स्थायी न्यायाधीश बने।
- ▶ उन्होंने तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और सुप्रीम कोर्ट में सेवा दी।
- ▶ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 102 फैसले दिए, जिसमें नोटबंदी और रिश्वत के मामलों पर निर्णय शामिल हैं।



मुख्य बिंदु:

- ▶ न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन सरंगी ने 2013 में ओडिशा हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश के रूप में सेवा दी और 1.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया।
- ▶ प्रियांक कानूनगो बाल अधिकार और शिक्षा के लिए समर्पित हैं। वे 2018 में NCPCR के अध्यक्ष बने और 2021 में पुनर्नियुक्त हुए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक सांविधिक निकाय है, जो 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित हुआ। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है।
- यह देश में मानवाधिकारों की निगरानी करने वाला प्रहरी है।



राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

- NHRC जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों की रक्षा करता है, जो संविधान और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में निहित हैं।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारत के अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।



राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

NHRC के उद्देश्य

- मानवाधिकारों के मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करना।
- सरकार से स्वतंत्र रूप से उल्लंघनों की जांच करना और सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करना।
- मानवाधिकार संरक्षण के लिए पहले से किए गए प्रयासों को पूरक और सशक्त बनाना।



राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

NHRC की संरचना

- अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य। ✓✓

7 पदेन सदस्य:

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष।
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष।
3. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष।
4. राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष।
5. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष।
6. बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष।
7. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

सदस्यों की योग्यता:

- अध्यक्ष: सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश।
- सदस्य: सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मानवाधिकारों में अनुभव वाले व्यक्ति (एक महिला अनिवार्य)।



राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

सदस्यों की नियुक्ति:



- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, और गृह मंत्री शामिल हैं।
- सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श जरूरी है।



राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

कार्यकाल:

- अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहते हैं।
- पुनर्नियुक्ति की अनुमति है, लेकिन कार्यकाल के बाद केंद्र या राज्य सरकार में पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती।

पुनः नियुक्ति



राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग


NHRC के कार्य:

- मानवाधिकार उल्लंघन या रोकथाम में लापरवाही के मामलों की स्वतः संज्ञान लेकर, याचिका के आधार पर, या अदालत के आदेश से जांच करना।
- अदालत में लंबित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में हस्तक्षेप करना।
- जेलों और हिरासत स्थलों का निरीक्षण कर कैदियों की स्थिति का अध्ययन करना और सिफारिशें देना।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

NHRC के कार्य:

- मानवाधिकार संरक्षण के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के सुझाव देना।
- आतंकवाद जैसे कारकों की समीक्षा करना, जो मानवाधिकारों का आनंद लेने में बाधा डालते हैं, और उपाय सुझाना।
- मानवाधिकार से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों का अध्ययन करना और उनके क्रियान्वयन के सुझाव देना।



राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

NHRC के कार्य:

- मानवाधिकार क्षेत्र में शोध करना और इसे बढ़ावा देना। ✓✓
- लोगों में मानवाधिकार जागरूकता फैलाना और उनके संरक्षण के उपायों के बारे में जानकारी देना।
- मानवाधिकार क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के प्रयासों को प्रोत्साहन देना।
- मानवाधिकार संवर्धन के लिए अन्य आवश्यक कार्य करना।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

NHRC के अधिकार:

- आयोग अपनी प्रक्रिया तय करने का अधिकार रखता है।
- इसे दीवानी अदालत (सिविल कोर्ट) के सभी अधिकार प्राप्त हैं और इसकी प्रक्रिया न्यायिक प्रकृति की होती है।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों या अधीनस्थ प्राधिकरणों से रिपोर्ट या जानकारी मांग सकता है।
- आयोग एक साल से अधिक पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता।

10 दिनों की मानवाधिकार दिवस मनाया जागा है

मोटन यादव
 जेली के केस में रिपोर्ट के लिए - कंसुपुल

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

जांच के दौरान या बाद में आयोग निम्नलिखित कदम उठा सकता है:

- पीड़ित को मुआवजा या क्षतिपूर्ति देने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश करना।
- दोषी लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई या अभियोजन की सिफारिश करना।
- पीड़ित को तत्काल राहत प्रदान करने की सिफारिश करना।
- सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से आवश्यक निर्देश, आदेश, या रिट जारी करने के लिए संपर्क करना।


राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

मानवाधिकार:

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो जाति, लिंग, राष्ट्रियता, धर्म, या किसी अन्य स्थिति से परे सभी मनुष्यों को प्राप्त होते हैं।
- इनमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, दासता और यातना से मुक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्य और शिक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं।
- हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।।



ट्रैक एंड ट्रेस मार्केटिंग





चर्चा में क्यों?



- ▶ जीएसटी काउंसिल ने कर चोरी रोकने के लिए 'ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म' को मंजूरी दी। यह प्रणाली अद्वितीय पहचान चिह्न का उपयोग करेगी। साथ ही, अन्य जीएसटी दरों में बदलाव और छूट को भी स्वीकृति मिली।





मुख्य बिंदु:



- ▶ 'ट्रेक एंड ट्रेस मैकेनिज्म' के तहत कर चोरी की संभावना वाले सामानों या उनके पैकेजिंग पर अद्वितीय पहचान चिह्न लगाया जाएगा।
- ▶ यह प्रणाली पूरे आपूर्ति श्रृंखला में सामानों की निगरानी के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करेगी।



मुख्य बिंदु:



- ▶ 'ऑनलाइन सेवाओं' जैसे ऑनलाइन गेमिंग और OIDAR सेवाओं की आपूर्ति के लिए कर चालान पर प्राप्तकर्ता के राज्य का नाम दर्ज करना अनिवार्य किया गया।
- ▶ फोर्टिफाइड राइस कर्नल (FRK) पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% की गई, जबकि जीन थेरेपी पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया।



मुख्य बिंदु:



- ▶ मर्चेन्ट एक्सपोर्टर्स को आपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति उपकरण दर को 0.1% तक कम किया गया।
- ▶ IAEA निरीक्षण टीम के उपकरणों और नमूनों के आयात पर IGST छूट दी गई, विशेष शर्तों के तहत।



मुख्य बिंदु:



- ▶ तृतीय-पक्ष मोटर वाहन प्रीमियम से सामान्य बीमा कंपनियों के योगदान पर जीएसटी छूट दी गई, जो मोटर वाहन दुर्घटना कोष में जाती है।
- ▶ यह कोष सड़क दुर्घटना पीड़ितों, विशेष रूप से हिट-एंड-रन मामलों में, मुआवजा और कैशलेस इलाज प्रदान करता है।



मुख्य बिंदु:



- ▶ 'प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड' की परिभाषा को संशोधित कर 25 किग्रा या 25 लीटर तक के खुदरा वस्तुओं को शामिल किया गया, जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत पैक और घोषित होती हैं।

GST काउंसिल क्या है?

- GST लागू करने के लिए संसद और 15 से अधिक राज्यों द्वारा संविधान (122वां संशोधन) विधेयक पारित किया गया।
- 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद GST काउंसिल का गठन हुआ।

Tax-कानून



GST काउंसिल क्या है?

- यह संविधानिक निकाय GST से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने और केंद्र एवं राज्य सरकारों को सिफारिशें देने के लिए जिम्मेदार है।



GST काउंसिल क्या है?

GST काउंसिल के उद्देश्य

- GST के सुचारु कार्यान्वयन और भारत में कर प्रणाली को नियंत्रित करना।
- कर कानूनों का सामंजस्य स्थापित करना, कर संरचना को सरल बनाना, दोहरे कराधान को समाप्त करना और अनुपालन लागत कम करना।
- कर प्रक्रिया की निगरानी करना और धोखाधड़ी रोकना।

Tax → मिश्रण करना ✓
 - कर संरचना को सरल बनाना
 - दोहरे कराधान को समाप्त करना



GST काउंसिल क्या है?

GST काउंसिल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 279A (1): राष्ट्रपति को अनुच्छेद 279A लागू होने के 60 दिनों के भीतर GST काउंसिल का गठन करना होगा।



GST काउंसिल क्या है?

GST काउंसिल की संरचना

- अनुच्छेद 279A(2):
- अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री।



GST काउंसिल का
अध्यक्ष → वित्त मंत्री

सदस्य:

- राजस्व/वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री।
- प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित वित्त या कराधान मंत्री।



GST काउंसिल क्या है?

GST काउंसिल की संरचना

उपाध्यक्ष:

- काउंसिल के सदस्य अपने बीच से एक उपाध्यक्ष का चयन करेंगे।



GST काउंसिल क्या है?

GST काउंसिल के कार्य:

अनुच्छेद 279A(4): काउंसिल केंद्र और राज्यों को निम्नलिखित पर सिफारिशें देगी:

- केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर, उपकर और अधिभार जो GST में शामिल किए जा सकते हैं।
- GST के अंतर्गत आने वाले या उससे छूट जाने वाले सामान और सेवाएं।



GST काउंसिल क्या है?

GST काउंसिल के कार्य:

- अंतर-राज्यीय व्यापार पर **GST लागू** करने के नियम और अपवर्जन सिद्धांत।
- GST से छूट के लिए कारोबार का न्यूनतम सीमा।
- GST दरें, जैसे फर्श दर और बैंड।



GST काउंसिल क्या है?

GST काउंसिल के कार्य:

- प्राकृतिक आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए विशेष दरें।
- पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान।



GST काउंसिल क्या है?

अन्य प्रावधान:

- अनुच्छेद 279A(5): काउंसिल पेट्रोलियम, डीजल, गैस और विमानन ईंधन पर GST लागू करने की तारीख की सिफारिश करेगी।
- अनुच्छेद 279A(8): काउंसिल अपने कार्यों को पूरा करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करेगी।



GST काउंसिल क्या है?

अन्य प्रावधान:

अनुच्छेद 279A(11):

- केंद्र और राज्यों या राज्यों के बीच GST संबंधी विवादों का निपटारा करने की प्रणाली बनाएगी।




GST काउंसिल क्या है?

टैक्स इवैजिन और टैक्स अवायडेंस:

कर देयता कम करने के उपाय:

- कर देयता को टैक्स प्लानिंग टैक्स अवायडेंस, और टैक्स इवैजिन के माध्यम से कम किया जा सकता है।
- टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवायडेंस कानूनी हैं, जबकि टैक्स इवैजिन पूरी तरह से अवैध है।

अवायडेंस




GST काउंसिल क्या है?

टैक्स इवेजन और टैक्स अवाँडेंस:

टैक्स अवाँयडेंस:

- कानूनी तरीकों से कर देयता कम करने का प्रयास।
- वित्तीय मामलों को इस प्रकार व्यवस्थित करना ताकि न्यूनतम कर का भुगतान हो।



GST काउंसिल क्या है?


टैक्स इवेजन और टैक्स अवाइडेंस:

टैक्स अवायडेंस:

सामान्य तरीके:

- दान में कटौती का दावा करना।
- हेल्थ सेविंग अकाउंट में योगदान कटौती।
- 401(k) खाते में धन डालना।
- छात्र ऋण ब्याज कटौती का उपयोग।

1 मिनट



GST काउंसिल क्या है?

बीईपीएस (Base Erosion and Profit Sharing):

- कंपनियां ट्रांसफर प्राइसिंग का दुरुपयोग कर कृत्रिम रूप से मूल्य बढ़ाकर या घटाकर कर से बचती हैं।



GST काउंसिल क्या है?

बीईपीएस (Base Erosion and Profit Sharing):

टैक्स इवैज़न:

- कर देयता कम करने या उससे बचने के लिए अवैध तरीके अपनाना।
- आय छुपाना या जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत करना।
- परिणामस्वरूप जुर्माना, दंड, या कारावास हो सकता है।



GST काउंसिल क्या है?

बीईपीएस (Base Erosion and Profit Sharing):

अवैध गतिविधियां:

- तथ्यों की गलत प्रस्तुति।
- महत्वपूर्ण दस्तावेज छुपाना।
- सभी लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड नहीं रखना।
- झूठे बयान देना।



युगो युगोन भारत संग्रहालय





चर्चा में क्यों?



- ▶ युगे युगेन भारत संग्रहालय, भारत के 5,000 वर्षों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को प्रदर्शित करने के लिए, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में स्थापित किया जाएगा। इसमें 25,000 कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी, जो राष्ट्रीय संग्रहालय से चार गुना अधिक हैं।





प्रमुख बिंदु:



- ▶ संस्कृति मंत्रालय ने फ्रांस म्यूज़ियम डेवलपमेंट (FMD) के साथ साझेदारी की घोषणा की है।
- ▶ इस साझेदारी का उद्देश्य युगे युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को विश्व स्तरीय सांस्कृतिक संस्था के रूप में विकसित करना है।
- ▶ यह परियोजना सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है और उत्तर और दक्षिण ब्लॉकों में लगभग 1,55,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैलेगी।



प्रमुख बिंदु:



- ▶ संग्रहालय की घोषणा पहली बार मई 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो में की गई थी।
- ▶ भारत और फ्रांस के बीच समझौते के तहत फीजिबिलिटी स्टडी, संग्रहालय केस स्टडी, व्याख्या योजना और भवन कार्यक्रम पर सहयोग किया जाएगा।



प्रमुख बिंदु:



- ▶ यह साझेदारी भारत और फ्रांस के बीच वर्षों से चले आ रहे सांस्कृतिक सहयोग पर आधारित है।
- ▶ फ्रांस की ग्रांड लौवर जैसी परियोजनाओं में विशेषज्ञता, इस संग्रहालय को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।



प्रमुख बिंदु:



- ▶ उत्तर और दक्षिण ब्लॉकों के ऐतिहासिक पुनः उपयोग से उनकी वास्तुकला को संरक्षित करते हुए एक आधुनिक सांस्कृतिक स्थान तैयार किया जाएगा।

भारत - फ्रांस संबंध

भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय संबंध समय के साथ और भी मजबूत और विविधतापूर्ण हुए हैं। उनके सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों और हाल की घटनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

रणनीतिक साझेदारी की स्थापना (1998):

- भारत और फ्रांस ने 1998 में अपनी रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की, जो जनवरी 2023 में 25 वर्षों का मील का पत्थर पूरा हुआ।



भारत – फ्रांस संबंध

रक्षा सहयोग:

- 2006 में रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षरित समझौता और 2016 में इसे 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण ने दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत किया।
- 2023 में DRDO कार्यालय की स्थापना से प्रौद्योगिकी सहयोग में वृद्धि हुई।
- राफेल जेट्स की खरीद से वायु शक्ति में वृद्धि और रक्षा संबंधों की गहरीता का प्रमाण मिलता है।



भारत – फ्रांस संबंध

अंतरिक्ष सहयोग:

- ISRO और CNES के बीच संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम और उपग्रह प्रक्षेपण में सहयोग जारी है।
- 22 जून 2022 को GSAT-24 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण फ्रांसीसी गियाना से हुआ।



भारत - फ्रांस संबंध

नागरिक परमाणु सहयोग:

- 2008 में नागरिक परमाणु सहयोग पर समझौता हुआ।
- जैतापुर परमाणु परियोजना में फ्रांस की भागीदारी, हालांकि प्रगति धीमी रही है।
- SMR और AMR पर साझेदारी स्थापित करने पर सहमति बनी है।



भारत – फ्रांस संबंध

आर्थिक सहयोग:

- 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार \$13.4 बिलियन तक पहुंचा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.72% अधिक है।
- फ्रांस भारत का 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक \$10.5 बिलियन का FDI।



भारत - फ्रांस संबंध

डिजिटल सहयोग:



- 2019 में साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर रोडमैप पर हस्ताक्षरित समझौता।
- जुलाई 2023 में पेरिस में UPI की शुरुआत से भारतीय आगंतुकों और NRIs के लिए सुरक्षित लेन-देन की सुविधा।



भारत – फ्रांस संबंध

संस्कृति और पर्यटन सहयोग: ✓

- फ्रांस में कई भारतीय-फ्रांसीसी सांस्कृतिक संघ हैं, जो विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ✓
- 2016 में 'नमस्ते फ्रांस' सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन।



भारत – फ्रांस संबंध

समुद्री और समुद्री सहयोग:

- 2022 में 'ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस' पर रोडमैप के तहत सहयोग।

फ्रांस में भारतीय समुदाय:

- फ्रांस में भारतीय समुदाय, जिसमें NRIs शामिल हैं, लगभग 1,09,000 हैं, जो मुख्यतः पुडुचेरी, कराईकल, यानम, महे और चंदरनगर से आते हैं।



भारत – फ्रांस संबंध

हाल की घटनाएँ

- फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा और गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति।
- 2023 में भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई।
- प्रधानमंत्री मोदी की पेरिस यात्रा के दौरान बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी।



भारत - फ्रांस संबंध

मुख्य परिणाम

- रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोडमैप पर सहमति, जिसमें संयुक्त सैन्य उपकरणों का निर्माण, आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास, और उन्नत प्रौद्योगिकियों में सहयोग शामिल है।
- रक्षा-स्थान साझेदारी पर नया समझौता, जिसमें अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता पर सहयोग।



भारत - फ्रांस संबंध

मुख्य परिणाम

- एयरबस और टाटा के बीच हेलीकॉप्टर उत्पादन के लिए औद्योगिक साझेदारी। ✓
- उपग्रह प्रक्षेपण में सहयोग के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और फ्रांसीसी एरियनस्पेस के बीच समझौता।
- यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत, जिसमें 18-35 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों का आदान-प्रदान और भारतीय छात्रों के लिए वीजा वैधता बढ़ाई गई। }



भारत - फ्रांस संबंध

मुख्य परिणाम

- स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, जिसमें शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, और AI का उपयोग शामिल है।
- इन बिंदुओं के माध्यम से, भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों की गहराई और विविधता को स्पष्ट किया गया है, जो समय के साथ और भी मजबूत हुए हैं।



“नो-डिटेन्शन” नीति





“नो-डिटेंशन” नीति

चर्चा में क्यों?

Right of children to free and compulsory Education

- ▶ केंद्र सरकार ने कक्षा 5 और 8 के लिए “नो-डिटेंशन” नीति को समाप्त कर दिया है, जिससे अब स्कूलों को उन छात्रों को फेल करने का अधिकार मिल गया है जो साल के अंत की परीक्षा में असफल होते हैं।





मुख्य बिंदु:



- ▶ केंद्र सरकार ने कक्षा 5 और 8 के लिए “नो-डिटेंशन” नीति को समाप्त कर दिया है, जिससे अब स्कूल उन छात्रों को फेल कर सकते हैं जो वर्ष के अंत की परीक्षा में असफल रहते हैं।



“नो-डिटेन्शन” नीति

मुख्य बिंदु:



- ▶ शिक्षा मंत्रालय ने 16 दिसंबर को "Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2024" नामक एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई बच्चा कक्षा 5 या 8 की परीक्षा में प्रमोशन मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो उसे कक्षा में फेल किया जा सकता है।



“नो-डिटेंशन” नीति

मुख्य बिंदु:



- ▶ नियमों में यह भी कहा गया है कि ऐसे बच्चों के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए, ताकि उनकी शिक्षा में कोई कमी न रहे।
- ▶ 2009 के Right to Education Act में 2019 में नो-डिटेंशन नीति को समाप्त किया गया था, लेकिन नियम अब लागू किए गए हैं।



मुख्य बिंदु:



- ▶ यदि बच्चे को परीक्षा में असफल होने के बाद भी प्रमोशन के मानदंड पूरे नहीं होते, तो उसे अतिरिक्त निर्देश और परीक्षा का एक और अवसर दिया जाएगा।
- ▶ यदि बच्चा पुनः परीक्षा में असफल होता है, तो उसे कक्षा में रोक दिया जाएगा।



मुख्य बिंदु:



- ▶ मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित किया कि परीक्षा और पुनः परीक्षा कौशल आधारित होंगी, ताकि बच्चे का समग्र विकास हो सके और केवल रटने या प्रक्रिया आधारित न हो।
- ▶ मंत्रालय ने 2023 में पाया था कि 65 लाख छात्रों ने कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में असफलता हासिल की थी।



“नो-डिटेंशन” नीति

मुख्य बिंदु:



- ▶ "नो-डिटेंशन" नीति का मुख्य उद्देश्य था बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना, लेकिन इससे असफलता की दर में वृद्धि हुई थी।
- ▶ यह अधिसूचना केंद्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे 3,000 से अधिक स्कूलों पर लागू होगी, जिसमें केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल शामिल हैं।



मुख्य बिंदु:



- ▶ चूंकि शिक्षा राज्य का विषय है, राज्य सरकारें अपने अनुसार नो-डिटेंशन नीति को बनाए रखने या समाप्त करने का निर्णय ले सकती हैं।



“नो-डिटेंशन” नीति

मुख्य बिंदु:

- ▶ वर्तमान में 16 राज्य और दो केंद्रशासित प्रदेश कक्षा 5 और 8 में असफल छात्रों को फेल करते हैं, जबकि अन्य राज्य और केंद्रशासित प्रदेश नो-डिटेंशन नीति को लागू रखते हैं।
- ▶ नो-डिटेंशन नीति जारी रखने वाले राज्य: आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, आदि।



“नो-डिटेंशन” नीति

नो-डिटेंशन नीति को समाप्त करने के कारण:

- ▶ **अकादमिक स्तर में कमी:** विशेषज्ञों का मानना था कि इस नीति से अकादमिक मानक और छात्र की जिम्मेदारी में कमी आई। इसे स्कूलों को केवल मिड-डे मील केंद्रों में बदलने का कारण माना गया।
- ▶ **राज्य और विशेषज्ञों का समर्थन:** 2016 तक, अधिकांश राज्यों ने नीति को समाप्त करने के पक्ष में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) की बैठक में समर्थन दिया।



नो-डिटेंशन नीति को समाप्त करने के कारण:

- ▶ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में शिक्षा के परिणामों को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है, जबकि शिक्षा तक पहुंच बनाए रखने की आवश्यकता है।
- ▶ नीति परिवर्तन का उद्देश्य जिम्मेदारी और समानता के बीच संतुलन बनाए रखना है, ताकि छात्रों को अपनी पढ़ाई में गंभीरता आए और कमजोर छात्रों को सहारा मिले।



“नो-डिटेन्शन” नीति

नई नीति के मुख्य प्रावधान:

- ▶ प्रमोशन और पुनः परीक्षा: कक्षा 5 या 8 में वार्षिक परीक्षा में असफल छात्रों को सुधारात्मक निर्देश और दो महीने के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर मिलेगा।
- ▶ पुनः परीक्षा में असफल होने पर छात्र को रोक दिया जाएगा।



नई नीति के मुख्य प्रावधान:

- ▶ छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा: कक्षा 8 तक कोई भी छात्र स्कूल से निष्कासित नहीं किया जा सकता।
- ▶ रोके गए छात्रों और उनकी प्रगति का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाएगा।



नई नीति पर प्रतिक्रियाएँ:

समर्थक:

- ▶ शिक्षक: इसे शैक्षिक rigor को पुनः स्थापित करने और छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करने के रूप में सराहते हैं।
- ▶ अभिभावक: इसे बेहतर शैक्षिक तैयारी और परिणामों को प्रोत्साहित करने के रूप में देखते हैं।



“नो-डिटेन्शन” नीति

नई नीति पर प्रतिक्रियाएँ:

आलोचक:

- ▶ शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि डिटेन्शन से ड्रॉपआउट दर बढ़ सकती है और आर्टीई के समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को नुकसान हो सकता है।
- ▶ वे नई नीति के साथ निरंतर और समग्र मूल्यांकन (CCE) को जोड़ने की आवश्यकता पर बल देते हैं।



नई नीति को लागू करने के सुझाव:

रोकथाम उपाय:

- ▶ कमजोर छात्रों की जल्दी पहचान करना ताकि असफलताओं को कम किया जा सके।
- ▶ पूरे वर्ष में सीखने की कमी को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना।

जल्दी पहचान

असफलताओं को कम

सीखने की कमी दूर

ध्यान केंद्रित



नई नीति को लागू करने के सुझाव:

लागू करने की निगरानी:

- ▶ स्कूल प्रमुख छात्रों की प्रगति पर नजर रखेंगे और रोके गए छात्रों के लिए उचित समर्थन सुनिश्चित करेंगे।

समग्र दृष्टिकोण:

- ▶ नीति को CCE के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि प्रगति को ट्रैक किया जा सके और असफलता के कलंक से बचा जा सके।



निष्कर्ष:

- ▶ नो-डिटेंशन नीति का अंत भारत की शिक्षा दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है, जो जिम्मेदारी और समावेशिता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। जबकि इसका उद्देश्य शिक्षा के परिणामों को बेहतर बनाना है, इसकी सफलता सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन और कमजोर छात्रों के निरंतर समर्थन पर निर्भर करेगी।

माघ बिहू उत्सव





चर्चा में क्यों?



- ▶ गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम में माघ बिहू के दौरान पारंपरिक भैंस और बुलबुल की लड़ाई पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है।
- ▶ इससे पहले, असम सरकार ने जनवरी 2024 में इन प्रथाओं को फिर से शुरू करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की थी, जिसे अब अदालत ने रद्द कर दिया है।





मुख्य बिंदु:



- ▶ असम सरकार ने इस साल जनवरी में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसका उद्देश्य एक दशक बाद इन प्रथाओं को फिर से जीवित करना था।
- ▶ न्यायालय ने कहा कि असम सरकार ने 1960 के 'प्रीवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट', 1972 के 'वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट', और 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित जजमेंट का उल्लंघन किया।



मुख्य बिंदु:



- ▶ इन पारंपरिक प्रथाओं में भैंस और बुलबुल की लड़ाइयाँ शामिल हैं, जो माघ बिहू के दौरान आयोजित होती हैं।
- ▶ भैंस की लड़ाइयाँ असम के नगोन जिले के अहतगुरी में बड़े पैमाने पर होती हैं, जबकि बुलबुल की लड़ाइयाँ हाजो के हैयग्रीव माघब मंदिर में आयोजित होती हैं।



मुख्य बिंदु:



- ▶ 2014 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, इन लड़ाइयों पर नौ साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि यह 'प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट' और 'वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट' का उल्लंघन था।
- ▶ मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और कर्नाटका द्वारा किए गए संशोधनों को स्वीकार किया, जिससे इन राज्यों में बुल-बुल टेमिंग और बैल रेसिंग को फिर से अनुमति मिली।



मुख्य बिंदु:



- ▶ असम सरकार ने जनवरी 2024 में एक नया एसओपी जारी किया था, जिसके तहत भैंस और बुलबुल की लड़ाइयों को पारंपरिक स्थलों पर ही अनुमति देने का प्रयास किया गया।
- ▶ इस एसओपी में जानवरों को किसी भी प्रकार की क्रूरता से बचाने का प्रयास किया गया था, जैसे कि नशीले पदार्थों का उपयोग और जानवरों को चोट पहुंचाना मना किया गया था।



मुख्य बिंदु:

- ▶ पीईटीए इंडिया ने इन प्रथाओं के खिलाफ गौहाटी उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, उनका आरोप था कि इन घटनाओं में जानवरों को पीड़ा और चोट का सामना करना पड़ा।
- ▶ न्यायालय ने कहा कि 'वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट' के तहत बुलबुलों को संरक्षित किया गया है और इसे लड़ाई के लिए पकड़ना या प्रेरित करना कानूनी रूप से गलत है।

गौहाटी

PETA



मुख्य बिंदु:



- ▶ न्यायालय ने यह भी कहा कि असम सरकार ने 1960 के कानून और 1972 के 'वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट' को दरकिनार करते हुए एक कार्यकारी आदेश के द्वारा इन गतिविधियों को अनुमति देने का प्रयास किया, जो कि अस्वीकार्य है।

माघ बिहू के बारे में

- माघ बिहू, जिसे भोगाली बिहू या माघोर बिहू भी कहा जाता है, असम में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है।
- यह असम की कृषि परंपराओं से जुड़ा हुआ है और माघ माह (जनवरी) में मनाया जाता है, जो फसल की कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है।



माघ बिहू के बारे में

- बिहू का इतिहास प्राचीन समय (लगभग 3500 ईसा पूर्व) से जुड़ा हुआ है, जब लोग अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए अग्नि बलि देते थे।
- दिमासा कछारी जनजाति को इस उत्सव का पहला ज्ञात समुदाय माना जाता है।
- माघ बिहू दो दिनों तक मनाया जाता है।



माघ बिहू के बारे में

- पहले दिन को उरुका या बिहू ईव कहा जाता है, जब मेइजी (अग्नि) जलाया जाता है, लोग बिहू गीत गाते हैं, ढोल बजाते हैं और अपनों के साथ जश्न मनाते हैं।
- माघ बिहू का मुख्य दिन अगले दिन होता है लोग सुबह जल्दी नहाते हैं और पारंपरिक असमिया खेल जैसे टकली बोंगा (मटकी फोड़ना) और बैल लड़ाई खेलते हैं।



माघ बिहू के बारे में

महत्व

- माघ बिहू का कृषि और सामाजिक दोनों दृष्टियों से महत्व है। यह फसल की कटाई के मौसम के अंत और नई फसल के उत्सव को दर्शाता है।
- यह उत्सव दोस्ती और भाईचारे के रिश्तों को नवीनीकरण का समय है, जिसमें समुदाय के साथ भोजन साझा करने पर जोर दिया जाता है।



माघ बिहू के बारे में

महत्व

- कृषि दृष्टि से यह अच्छे फसल के लिए पूर्वजों और देवताओं का आभार व्यक्त करने का समय है। सामाजिक दृष्टि से यह समुदायों को एकत्र कर उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करता है।





PETA के बारे में

- ▶ पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनीमल्स (PETA) एक गैर-लाभकारी पशु अधिकार संगठन है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
- ▶ इस संगठन का उद्देश्य जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकना और उनके नैतिक उपचार को बढ़ावा देना है।





PETA के बारे में

- ▶ PETA जन शिक्षा, लॉबीइंग, पशु उद्धार और विरोध अभियानों के माध्यम से काम करता है।
- ▶ PETA के लक्ष्य में शोध और परीक्षण में जानवरों का उपयोग, फर व्यापार, और मनोरंजन के लिए उनका शोषण रोकना, साथ ही पौधों-आधारित आहार और पशु-व्युत्पन्न उत्पादों के विकल्प को बढ़ावा देना शामिल है।



PETA के बारे में

- ▶ यह संगठन पशु अधिकारों के मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विवादास्पद तरीकों का उपयोग करता है, जैसे विरोध प्रदर्शनों का आयोजन और जानवरों के शोषण को उजागर करने के लिए ग्राफिक चित्रों का इस्तेमाल।

7 Topics ⇒ (UPSE)

Thank You